न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

गि0न0—154/2025

1. मनफूलराम पुत्र रामनारायण जाति सुथार निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम्

1. रवि कुमार पुत्र हीरालाल
2. सुनील कुमार पुत्र प्रताप
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

जाति बिश्नोई निवासीयान गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थितिः—श्री सुभाष गर्ग अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री अरविन्द नैण अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 22/5/24

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चकनं० 1 एफटीपी के खाता सं0 40/53 में कुल .759 है० आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं० 1 व 2 के नाम से चकनं० 1 एफटीपी ए के खाता सं0 50/75 में कुल 2.024 है० ब०हि०ब० दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न परिवाद पत्र है । प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने व काश्त के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है । चक नं० 1 एफटीपी ए के प0न0 212/228 मु0 16 किलानं0 1 ता 5 में स्वीकृतशुदा रास्ता चल रहा है। प्रार्थी स्वीकृतशुदा रास्ता से चक नं० 1 एफटीपी ए के प०न० 212/228 मु0 16 किलानं0 1/1 में से होकर अपनी कृषि भूमि चक 1 एफटीपी ए के प0न0 212 / 228 मु0 16 किलानं0 1 में प्रवेश करता है। इसके अलावा प्रार्थी को अन्य कोई रास्ता अपनी आराजी में आवागमन के लिए नही है । उक्त रास्ता मौका पर चालू है लेकिन राजस्व रिकार्ड में मन्जूर नही है। प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 में दर्ज चालू रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थीगण की आराजी वाकें चक 1 एफटीपी ए के प0न0 212/228 मु0 16 किलानं० 1/1 में से 10 फुट चौड़ा व एक बीघा लम्बा रास्ता पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण की तरफ राजस्व रिकार्ड में मन्जूर करवाना चाहता है । रास्ता की भूमि के बदले में प्रार्थी, अप्रार्थीगण को डीएलसी रेट के अनुसार राशि देने के लिए तैयार है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 के अनुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाकर गै०मु० रास्ता का अंकन करवा देवे तो अप्रार्थीगण कतई इन्कार हो गयी, बस यहीं बिनाय प्रार्थना पत्र है । प्रार्थना पत्र प्रार्थी पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है जो अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण की आराजी कें चक 1 एफटीपी ए के प0न0 212/228 मु0 16 किलानं0 1/1 में से 10 फुट चौड़ा व एक बीघा लम्बा रास्ता पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण की तरफ स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता का अंकन करने के आदेश फरमावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण की सम्यक रूप से तामिल होने के बाद अप्रार्थीगण की ओर अधिवक्ता श्री अरविन्द नैण उपस्थित हुए अप्रार्थी को जवाब हेतु बार—बार अवसर दिये जाने के

बाद भी जवाब पेश नही किये जाने के कारण अप्रार्थीगण का जवाब अवसर बंद किया गया।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी, बहस पर मनन किया प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में नया रास्ता स्वीकृत करने से संबधित प्रावधान के अनुसार प्रार्थी के लिए नया रास्ता तभी स्वीकृत किया जा सकेगा जब न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि (1) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के लिए सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है। (2) विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध हो गया हो। (3) प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का हो।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चक 1 एफटीपी ए के प0न0 212/228 मु0 16 किलानं0 1/1 में से 10 फुट चौड़ा व एक बीघा लम्बा रास्ता पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण की तरफ रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा है। तहसीलदार रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थी के खातेदारी भूमि में प्रवेश हेतु निकटतम रास्ता है उक्त प्रस्तावित रास्ते का मिलान प0न0 212/228 मु0 16 के किला न0 1,2,3,4,5 में स्वीकृत शुद्धा रास्ते से हो रहा है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई स्वीकृत शुद्धा/वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रवेश के लिए नही है। तहसीलदार रिपोर्ट मुताबिक चाहे गये रास्ते में अप्रार्थीगण द्वारा 1 माह पूर्व खेजडी के वृक्ष लगे होना बताया गया है। जो प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दायर किया जाने के बाद लगाये गये है। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा रास्ते में अवरोध प्रकट करने के लिए वृक्षारोपण किया गया है।

उक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध होने एंव प्रस्तावित रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 1 एफटीपी ए के प0न0 212/228 मु0 16 किलानं0 1/1 में से 10 फुट चौड़ा व एक बीघा लम्बा रास्ता पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण की ओर स्वीकृत किया जाता है। रास्ते में आयी भूमि के बदले में अप्रार्थी के चिपते प्रार्थी के किला न0 8 व 9 में उतरी दिशा की तरफ उतनी हिस्सा अप्रार्थी के नाम से दर्ज किया जावे व प्रार्थी का हिस्सा कम किया जावे। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो वे उक्तानुसार स्वीकृत किये गये रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आजदिनांक 22.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी